क्रम-संख्या–272

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 27, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–3

संख्या 1222/20-27–सिं–3–137एल-2020
लखनऊ, 18 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0–447

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है कि धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना के अधीन लोक प्रयोजन हेतु ग्राम घरूआर, परगना नौगढ़, तहसील शोहरतगढ़, जिला सिद्धार्थनगर में उक्त परियोजना के अधीन राप्ती मुख्य नहर के निर्माण हेतु कुल 4.2480 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार सरयू नहर परियोजना के पर्यावरण अनापत्ति के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 1–12011/16/96–IA-1, दिनांक 19 जून, 2000 उपलब्ध कराया गया है।

3–संक्षेप में पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट निम्नवत् है :–

''प्रस्तावित नहर से राज्य के जिला बहराईच, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर की 12.00 लाख हे0 कृषि भूमि के लिए सिंचाई सुविधायें प्राप्त होंगी।''

4–इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है।

5–अतएव, राज्यपाल, जनसामान्य की सूचना के लिए यह अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन हेतु आवश्यक है :–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
सिद्धार्थनगर	शोहरतगढ़	नौगढ़	घरूआर	307	0.2560
				308	3.4592
				309	0.5328
				योग	4.2480 हेक्टेयर

6–राज्यपाल भूमि अर्जन के प्रयोजनार्थ कलेक्टर को उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित और विनिर्दिष्ट कार्य का समुचित निष्पादन करने हेतु भूमि ग्रहण करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का समतलीकरण करने, खुदाई करने तथा अपेक्षित सभी कार्य करने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

7–उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के पश्चात् साठ दिन के भीतर अपने परिक्षेत्र में भूमि अर्जन हेतु कलेक्टर को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन कोई व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के दिनांक से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियाँ पूर्ण होने के समय तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई व्यक्ति, प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार अर्थात् क्रय/विक्रय नहीं करेगा या न करने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

टिप्पणी :– अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, सिद्धार्थनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
मोहम्मद शाहिद,
विशेष सचिव।

———

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1222/XX-27–Si.-3-137L-2020, dated December 18, 2020 for general information :

No. 1222/XX-27–Si.-3-137L-2020

Dated Lcknow, December 18, 2020

Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), hereinafter referred to as the said Act, whereas the Government of Uttar Pradesh is satisfied that a total of 4.2480 hectares of land is required for the construction of Rapti Main Canal under the National Project of Saryu Nahar Pariyojna in the village Gharuaar, Pargana Naugarh, Tehsil Shohratgarh, District Siddharthnagar for public purpose under the said project, namely Saryu canal project.

2. Letter no. 1-12011/ 16/96-IA-1, dated June 19, 2000 has been provided by the Ministry of Environment and Forests, Government of India regarding environmental clearance of Saryu Canal Project (Saryu Nahar Pariyojna) in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 6 of the said Act.

3. In brief, the Environment Impact Assessment Report is as follows :–

"The proposed canal will provide irrigation facilities for 12.00 lakh ha. of agricultural land in Baharaich, Gonda, Basti, Gorakhpur and Siddharthnagar districts of the State."

4. No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project.

5. Therefore, the Governor is displaced to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below, is needed for public purpose :–

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Siddharthnagar	Shoharatgarh	Naugarh	Gharuaar	307	0.2560
				308	3.4592
				309	0.5328
				Total	**4.2480 Hect.**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to take necessary steps to enter upon and take survey of land, take levels of any land, dig and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the said Act.

7. Under section 15 of the said Act, any person interested in the land may within sixty days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under sub-section (4) of section 11 of the said Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition are completed, without prior approval of the Collector.

NOTE :– A site plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Siddharthnagar for the purpose of acquisition.

By order,
MOHAMMAD SHAHID,
Vishesh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 534 राजपत्र–2020–(1109)–599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।